

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

:: कार्यालयीन आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/08/2024

क्रमांक 3135 / F-2014-04-00769/ब-4/चार, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु जारी समस्त लिंक अधिकारी संबंधित आदेश को अधिक्रमित करते हुए अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

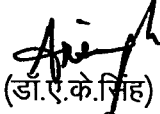
क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्रीमती शारदा वर्मा	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	डॉ.ए.के.सिंह
2	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	डॉ.ए.के.सिंह	श्रीमती शारदा वर्मा
3	डॉ.ए.के.सिंह	श्रीमती शारदा वर्मा	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
4	श्री अतीश पाण्डेय	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्री आनंद मिश्रा
5	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्री अतीश पाण्डेय	श्री सीताराम तिवारी
6	श्री आनंद मिश्रा	श्री सीताराम तिवारी	श्री अतीश पाण्डेय
7	श्री सीताराम तिवारी	श्री आनंद मिश्रा	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
8	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर	श्री राजशेखर शर्मा
9	श्री ऋषभ पाराशर	श्री राजशेखर शर्मा	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
10	श्री राजशेखर शर्मा	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर
11	श्री रोमन कुमार गंगाकचूर	श्रीमती शांता खरे	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे
12	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे	श्री राजीव कुमार झाड़े	श्री रोमन कुमार गंगाकचूर
13	श्री राजीव कुमार झाड़े	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे	श्रीमती शांता खरे
14	श्रीमती शांता खरे	श्री रोमन कुमार गंगाकचूर	श्री राजीव कुमार झाड़े
15	श्री कृष्णकांत खरान्शु	श्रीमती हिमशिखा साहू	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
16	श्री बदन कुमार ठाकुर	श्री कृष्णकांत खरान्शु	श्रीमती हिमशिखा साहू
17	श्रीमती हिमशिखा साहू	श्री बदन कुमार ठाकुर	श्री उत्कल कुमार शर्मा
18	श्री उत्कल कुमार शर्मा	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू	श्री बदन कुमार ठाकुर
19	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू	श्री उत्कल कुमार शर्मा	श्री कृष्णकांत खरान्शु
20	श्री निखिल कुमार अग्रवाल	श्री धर्मेन्द्र पटेल	श्री सलिल साहू
21	श्री धर्मेन्द्र पटेल	श्री सलिल साहू	श्री निखिल कुमार अग्रवाल
22	श्री सलिल साहू	श्री निखिल कुमार अग्रवाल	श्री धर्मेन्द्र पटेल

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से औपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहे हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्यो/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

4- उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा।

(सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)


(डॉ.ए.के.सिंह)
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

//2//

पृ.क्रमांक 8136 /F-2014-04-00769/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ७

1. सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव/निज सहायक, मंत्रालय
 2. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
 3. अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
 4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
 5. अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
 6. समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, विभाग, मंत्रालय
- की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त